ज्ञानविविधा
कला, मानविकी और सामाजिक विज्ञान की सहकर्मी-समीक्षित, मूल्यांकित, त्रैमासिक शोध पत्रिका

ISSN : 3048-4537(Online)
3049-2327(Print)
IIFS Impact Factor-4.5
Vol.-3; Issue-1 (Jan.-March) 2026
Page No.- 204-208
©2026 Gyanvividha
https://journal.gyanvividha.com

Author's :

डॉ. सुनीता सिन्हा

सहायक प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग,
एस0 एम0 कॉलेज, भागलपुर.
तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय
(बिहार)

Corresponding Author :

डॉ. सुनीता सिन्हा

सहायक प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग,
एस0 एम0 कॉलेज, भागलपुर.
तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय
(बिहार)

बिहार में जीविका परियोजना : आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम

भारत का संपूर्ण विकास तभी संभव है जब हम महिलाओं को पुरुषों के समान माने। महिलाओं का सशक्तिकरण निश्चित रुप से तभी होता है जब हम आर्थिक विकास की मुख्य धारा में महिलाओं के श्रम को पहचाने और उसका उपयोग करे, महिला सशक्तिकरण एक बहु-आयामी अवधारणा है, इसमें अनेक पहलुओं को शामिल किया जाता है। इन्हीं सभी पहलुओं में महिला सशक्तिकरण किसी भी महिला की आर्थिक सशक्तिकरण द्वारा बहुत अधिक निर्धारित होता है, इस संदर्भ में स्वयं सहायता समूह और माइक्रोफाइनेंस निश्चित रूप से समाज से आर्थिक कठिनाइयों के साथ-साथ सामाजिक बाधाओ को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

बिहार सरकार द्वारा समाज में सामाजिक व आर्थिक बदलाव के साथ-साथ नारी सशक्तिकरण की मजबूती के लिए कई स्तरों पर योजनाओं का संचालन कर रही है। इस करी में 'जीविका मिशन' एक महत्वपूर्ण योजना है। 'आर्थिक स्वालंबन 'इस योजना का मूल मंत्र है। इसके तहत स्वयं सहायता समूहों के द्वारा महिलाओं को इसमें जोड़कर लाभान्वित करने की योजना बनाई गई है। सरकार द्वारा 7लाख स्वयं सहायता समूह के गठन का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना में ग्रामीण महिलाओं के साथ-साथ शहरी क्षेत्र की महिलाओं को भी समान अवसर उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई है। ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने के लिए 2007 में इस योजना की शुरुआत की गई थी। स्वयं सहायता समूह के द्वारा महिलाओं को संगठित कर उन्हें छोटे व्यापार, कृषि, पशुपालन, हस्तशिल्प आदि गतिविधियों से आय अर्जित करने हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है। बिहार जैसे राज्य जहां ग्रामीण गरीबी एक बड़ा मुद्दा है वहां जीविका योजना ने हजारों परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाया है।

मुख्य शब्द : जीविका, स्वयं सहायता समूह, महिला सशक्तिकरण, ग्रामीण महिलाएं, गरीबी।

सशक्तिकरण एक समर्थकारी प्रक्रिया है जब शिक्षा सुरक्षा स्वास्थ्य एवं वित्तीय सहित अन्य सभी प्रकार के मामलों में महिलाओं की स्थिति में सुधार होगा तभी उन्हें सशक्त माना जाएगा असमानता समाज की वास्तविकता है सभी मनुष्यों के बीच में प्रकृति ने ही अंतर किया है लेकिन इसके बावजूद यदि किसी के साथ समाज में व्याप्त असमानता के आधार पर भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता है तो वह सामाजिक अन्याय की श्रेणी में आता है। इसी सामाजिक अन्याय का एक रूप लिंग के आधार पर स्त्री के साथ किया जाने वाला भेदभावपूर्ण व्यवहार है महिलाएं विश्व आबादी का आधा हिस्सा है इसके बावजूद हम देखते हैं कि भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में महिलाओं के मानवाधिकारों का हनन और लिंग आधारित भेदभाव तथा हिंसा व्यापक पैमाने पर जारी है। ऐसे विभिन्न कानून समय-समय पर सरकार द्वारा बनाए और संशोधित किए जाते हैं तथा योजनाओं नीतियों और कार्यक्रमों को प्रतिपादित किया जाता है। बेशक महिला सशक्तिकरण एक जटिल मुद्दा है जिसके असंख्य संकेतक है।

भारत जैसे देश जहां पितृसत्तात्मक मानसिकता के साथ विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं को पोषण शिक्षा और रोजगार की हक से वंचित रखा गया है और उनके खिलाफ हिंसा का प्रयोग करना अब भी एक चुनौती है। प्रक्रियाओं को समेकित करने की दिशा में प्रयास शुरु किए जा चुके हैं। महिलाओं को सशक्त बनाने की रणनीति पर काम किया जा रहा है, जिसे महिलाओं के लिए नई राष्ट्रीय नीति में प्रस्तावित किया गया है। मसौदा नीति में प्राथमिकता वाले क्षेत्र जैसे- स्वास्थ्य, शिक्षा, अर्थव्यवस्था, प्रशासन एवं निर्णय निर्धारण, महिलाओं के खिलाफ हिंसा पर रोक, हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के संदर्भ में वातावरण को सक्षम बनाना, सुरक्षित पेयजल एवं स्वच्छता, मास मीडिया एवं खेल, सामाजिक सुरक्षा एवं सहायता और पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन का उल्लेख किया गया है। सरकार महिलाओं के लिए साइबर स्पेस को सुरक्षित करने और अवैतनिक सेवाओं को कम करने के लिए लैंगिक भूमिकाओं का पुनः वितरण, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार निजी और परंपरागत कानून की समीक्षा करने, कृत्रिम प्रजनन तकनीक अपनाने की महिलाओं के अधिकारों को सुनिश्चित करने, सिंगल वूमेन की जरूरत को स्वीकार करने और उद्यमशील गतिविधियों में भाग लेने के लिए महिलाओं हेतु अनुकूल माहौल बनाने जैसे उभरते हुए एवं नए विषयों को मान्यता दे रही है, और इन चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसीलिए समावेशी समता मूलक जन केंद्रित और परिवर्तनकारी विकास कार्य सूची के उद्देश्यों को लैंगिक परिदृश्य में समझना महत्वपूर्ण है। इसके लिए नागरिक समाज और निजी क्षेत्र सहित सभी भागीदारों के समन्वित प्रयासों और योगदान की आवश्यकता है। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए आवश्यक है कि किसी भी आर्थिक सुधार विशेष कर मूलभूत रोजगार के प्रमुख क्षेत्रों जैसे -जल, आवास, खाद, वस्त्र, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा एवं प्राथमिक बैंकों में होने वाले सुधारो के केंद्र में गरीब महिलाओं को रखा जाए। गरीबी का समाधान करने वाले किसी भी सुधार के केंद्र में कार्य को रखा जाए, स्वरोजगार से महिलाओं को जोड़कर उनकी क्षमता को इतना बढ़ा दिया जाए कि वह स्थानीय बाजारों के साथ-साथ वैश्विक बाजारों में अपने प्रवेश को सुनिश्चित कर लें। इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखकर बिहार सरकार द्वारा "जीविका परियोजना" की शुरुआत की है सशक्त बनाने आय बढ़ाने एवं स्वयं सहायता समूह के माध्यम से सामाजिक विकास के लिए काम करना है खासकर महिलाओं को सशक्त बनाने पर जोर देती है। बिहार में गरीबों की दयनीय स्थिति विशेष कर महिलाओं की स्थिति तथा उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर इस योजना की शुरुआत की गई। 'जीविका 'का पूरा नाम (Bihar Rural Livelihoods Promotion Society - BRLPS) है। जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण गरीबों को सशक्त बनाने आय बढ़ाने एवं स्वयं सहायता समूह के माध्यम से सामाजिक विकास के लिए काम करना है खासकर महिलाओं को सशक्त बनाने पर जोर देती है। यह विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त योजना है।

बिहार की स्थिति:- भारत मुख्य रूप से एक ग्रामीण देश है जहां अधिकांश श्रमिक वर्ग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास

करते हैं। जनगणना 2011 की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में ग्रामीण जनसंख्या 68.4 प्रतिशत तथा शहरी जनसंख्या 31.6 प्रतिशत है। यदि महिलाओं की स्थिति को देखें अर्थात तलाकशुदा, एकल महिलाएं, विधवा आदि की संख्या भारत में महिला आबादी का 21 प्रतिशत है। 2021 की जनगणना आंकड़ों के अनुसार 2001 से 2012 तक एकल महिलाओं की आबादी बढ़कर 40 प्रतिशत हो गई है। यदि बिहार की बात की जाए तो यह आबादी की दृष्टि से भारत का तीसरा बड़ा राज्य है। जिनकी जनसंख्या 10.3 करोड़ है और इसकी आबादी का89 प्रतिशत जनसंख्या आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। 2021 की नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार बिहार भारत का न केवल सबसे गरीब राज्य है बल्कि विभिन्न विकास सूचकांक में भी वह बहुत नीचे है।

बिहार की अर्थव्यवस्था संरचना में प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र का योगदान है। तृतीय क्षेत्र अर्थात सेवा क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है लेकिन रोजगार सृजन में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान अधिक है। इसके बावजूद रोजगार तथा आय सृजन में इस क्षेत्र की कुछ सीमाएं हैं। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि एवं अन्य आर्थिक गतिविधियां आती है। परंतु इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि कृषि मौसमी रोजगार उत्पन्न करने वाला क्षेत्र है, अर्थात इस क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी अर्थात छुपी हुई बेरोजगारी है। इन्हीं वजहों से कृषि क्षेत्र में रोजगार की उपलब्धता बहुत सीमित हो जाती है जिसके परिणाम स्वरूप बिहार में रोजगार और आय स्रोतों की कमी दिखाई पड़ती है और परिणाम स्वरूप पलायन की समस्या उत्पन्न होती है। यदि बिहार में केवल महिलाओं की श्रम शक्ति की बात की जाए तो कुल आबादी का 42.2 प्रतिशत महिला श्रम शक्ति है जो संपूर्ण भारत के आबादी से 16.2 प्रतिशत कम है जबकि महिला श्रम शक्ति की सहभागिता दर लगभग 11% है जो सभी राज्यों की अपेक्षा काफी कम है।

बिहार में यदि संपूर्ण दृष्टि से देखा जाए तो कामकाजी उम्र की आबादी का बड़ा हिस्सा आज भी गरीबी में जी रहा है। बिहार का संपूर्ण विकास तभी संभव है जब ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक व आर्थिक विकास में आत्मनिर्भरता आए। क्योंकि राज्य की अधिकांश आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है इसीलिए ग्रामीण क्षेत्र का विकास राज्य के समग्र सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण है।

जीविका परियोजना की कार्य प्रणाली : बिहार सरकार द्वारा इस समस्या के निदान के साथ-साथ ग्रामीण बिहार के विकास हेतु अनेक सार्थक पहल कर रही है। सरकार का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक -सामाजिक सशक्तिकरण कर, राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने की है। सरकार द्वारा लैंगिक समानता तथा महिला सशक्तिकरण हेतु अनेक नीतिगत कार्य किए जा रहे हैं, जिसमें स्वयं सहायता समूह का गठन एक प्रमुख योजना है। इस सहायता समूह का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक तौर पर सक्रिय बनाकर उन्हें स्वरोजगार हेतु सक्षम बनाना है। ताकि बिहार में गरीबी दर में भी कमी आए, और उन्हें बुनियादी सुविधाएं प्राप्त हो, साथ ही वे आर्थिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभाने में सक्षम हो सके और अपने तथा अपने संपूर्ण समाज के कल्याण में सकारात्मक भूमिका अदा कर सके। महिलाएं हमारे समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन पितृ सत्तात्मक समाज में उनकी स्थिति पुरुषों के बाद ही आती है। महिलाओं के विकास के संदर्भ में सशक्तिकरण को परिभाषित करना एक महिला के जीवन में चुनौतियों तथा बाधाओं पर काबू पाने के तरीकों से है जिसके माध्यम से वह अपने जीवन और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों को आकार देने की क्षमता में वृद्धि करती है। यह एक सक्रिय तथा बहुआयामी प्रक्रिया है जो महिलाओं को अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में अपनी पूरी पहचान और शक्ति का एहसास करने में सक्षम बनाती है। बिहार सरकार द्वारा गरीबी उन्मूलन के लिए उठाया गया एक महत्वपूर्ण परियोजना है "जीविका योजना"। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र विशेष कर ग्रामीण महिलाओं के लिए जीविकोपार्जन हेतु सम्मान पूर्वक उचित अवसर उपलब्ध कराना है। जीविका परियोजना अर्थात "बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति"सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत एक निबंधित संस्था है। जिसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2007 में हुई। इस परियोजना के अंतर्गत सामुदायिक संस्थाओं का निर्माण एक प्रमुख गतिविधि है। इसके तहत तीन प्रकार के सामुदायिक संगठनों का गठन

किया गया है। "समूह में शक्ति है"को सूत्र वाक्य मानते हुए परियोजना अपने बृहत्तर उद्देश्य की प्राप्ति हेतु सबसे पहले समान आर्थिक एवं सामाजिक स्तर के 10 से 15 महिलाओं का एक स्वयं सहायता समूह बनती है, फिर 15 से 25 समूहों को मिलाकर एक ग्राम संगठन बनाया जाता है, इसके बाद 25 से 40 ग्राम संगठनों को मिलाकर सर्वोच्च स्तर की इकाई संकुल स्तरीय संघ का गठन किया जाता है। अर्थात जीविका त्रिस्तरीय व्यवस्था के तहत कार्य करती है। जिसमें प्रखंड स्तर पर प्रखंड परियोजना, क्रियान्चयन इकाई के रूप में, जिला स्तर पर जिला परियोजना, समन्वय इकाई के रूप में, एवं राज्य स्तर पर राज्य परियोजना, प्रबंधन इकाई के रूप में कार्य करती है। जीविका के कार्य नीति में मुख्य रूप से सामाजिक समावेशन एवं सामुदायिक संगठनों का निर्माण, वित्तीय समावेशन, आजीविका संवर्धन है। यह परियोजना गरीबों के सामाजिक, आर्थिक विकास एवं संवर्धन हेतु कार्य कर रही है।

जीविका परियोजना का महत्वपूर्ण योगदान :

1. महिलाओं की सशक्तिकरण हेतु यह आवश्यक है कि बैंकों तक उनकी पहुंच बने। ग्रामीण महिलाओं को अक्सर बैंकिंग सेवाओं तक पहुंचना कठिन होता है। जीविका योजना इस कमी को भी पूरा करती है। स्वयं सहायता समूह से जोड़ने के बाद हर महिला का बैंक खाता खुलवाया जाता है। उन्हें पैसा जमा करने से लेकर ऋण लेने, समय पर भुगतान करने आदि की जानकारी दी जाती है। इस तरह उन्हें वित्तीय सहायता दी जाती है। उनमें इससे आर्थिक निर्णय लेने की क्षमता विकसित होती है। यह बदलाव उन्हें घर और समाज में अधिक सम्मान और आत्मविश्वास दिलाता है

2. इस योजना का सबसे बड़ा फायदा या योगदान यह है कि यह महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाती है महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के बाद उन्हें समूह द्वारा नियमित बचत करने, छोटे ऋण लेने और सामूहिक रूप से व्यापार करने का मौका मिलता है। सरकार और बैंकों द्वारा जीविका समूहों को बिना गारंटी ऋण भी उपलब्ध कराए जाते हैं। यह ऋण महिला उद्यमियों को अपने व्यवसाय जैसे किराना दुकान, डेयरी, सब्जी उत्पादन, दर्जी कार्य आदि शुरू करने में मदद करता है। इसके अलावा सरकार द्वारा समय-समय पर आर्थिक अनुदान भी दी जाती है। जिससे महिलाएं बड़े स्तर पर व्यापार कर सके। इसी योजना के अंतर्गत बिहार सरकार द्वारा 2025 में महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु एक नई पहल 'मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना 'की भी शुरुआत की है, इस योजना का मुख्य लक्ष्य राज्य के प्रत्येक परिवार की एक महिला की अपनी पसंद का रोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इसके तहत ₹10000 की राशि प्रथम किस्त के रूप में दी जाएगी और रोजगार आरंभ करने के उपरांत आकलन कर दो लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता आवश्यकता अनुसार दी जाएगी। बिहार सरकार की इस योजना का उद्देश्य न केवल महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण करना है बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देना है। यह व्यवस्था महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

3. जीविका योजना न केवल आर्थिक लाभ प्रदान करता है बल्कि महिलाओं में नेतृत्व और निर्णय लेने की क्षमता भी विकसित करता है। स्वयं सहायता समूह की बैठकों में महिलाएं अपने विचारों को रखती है फैसला लेती है। यह प्रक्रिया उन्हें आत्मविश्वासी और जागरूक नागरिक बनाती है साथ ही इससे सामाजिक भागीदारी में भी महिलाओं की स्थिति मे बदलाव हुआ है।

4. समूह की बैठकों में महिलाओं को स्वच्छता, परिवार नियोजन, टीकाकरण, गर्भवती महिलाओं की देखभाल, पोषण युक्त आहार आदि विषयों पर भी जानकारी दी जाती है। इससे ग्रामीण महिलाओं और बच्चों का स्वास्थ्य भी बेहतर होता है। अर्थात जीविका योजना केवल आय वृद्धि तक सीमित नहीं है बल्कि यह स्वास्थ्य और पोषण जागरूकता भी बढ़ती है।

जीविका योजना द्वारा आर्थिक प्रशिक्षण के साथ-साथ कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराने का भी कार्य किया जाता है। समय-समय पर इसके द्वारा अनेक कार्यक्रम जैसे -सिलाई कढ़ाई ब्यूटी पार्लर, खाद्य प्रसंस्करण, पशुपालन,

डिजिटल साक्षरता, कंप्यूटर, मोबाइल रिपेयरिंग आदि चलाए जाते हैं। इन प्रशिक्षकों के बाद महिलाएं स्वरोजगार या नौकरी दोनों में से कोई भी रास्ता चुन सकती हैं। यह प्रशिक्षण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त तो बनता ही है उनमें आत्मनिर्भरता को भी विकसित करता है।

5. जीविका योजना का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह सामूहिक रूप से पूरे गांव और पंचायत के विकास में योगदान करती है। जब महिलाएं संगठित होकर आय वृद्धि करने लगती है तो उनका पूरा परिवार गरीबी रेखा से ऊपर आने लगता है। बच्चों को बेहतर शिक्षा और पोषण मिलता है। गांव में रोजगार और आजीविका के अवसर बढ़ाते हैं जिससे स्थानीय पलायन भी कम होता है।

निष्कर्ष : बिहार सरकार द्वारा संचालित जीविका परियोजना ग्रामीण क्षेत्रों में निवास कर रही गरीब महिलाओं को सामाजिक एवं आर्थिक रुप से स्वावलंबी बनाए जाने के लिए एक संकल्पित योजना है। इस परियोजना के अंतर्गत ग्रामीण गरीब महिलाओं को संगठित कर स्वयं सहायता समूह का निर्माण किया जाता है। सदस्यों की शुरुआती विभिन्न जरूरत को पूरा करने हेतु जीविका द्वारा आरंभिक पंजीकरण निधि एवं परिक्रामी निधि के रुप में निवेश किया जाता है, साथी बैंकों से संस्थागत ऋण पाने हेतु सहयोग किया जाता है। जीविकोपार्जन संबंधी अनेक गतिविधियां चलाई जाती है। तथा जोखिम कम करने हेतु सामुदायिक संगठनों के स्तर पर खाद्य एवं स्वास्थ्य सुरक्षा से संबंधित पहलुओं पर कार्य किया जाता है। जीविका अर्थात बिहार ग्रामीण आजीविका प्रोत्साहन समिति, ग्रामीण विकास के तत्वाधान में निबंधित संस्था है। यह संस्था ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। वर्तमान समय में यह एक राज्य स्तरीय आंदोलन में परिणत हो गई है। बिहार ग्रामीण आजीविका प्रोत्साहन समिति से जुड़ी महिलाओं को 'जीविका दीदी 'के नाम से संबोधित किया जाता है। और इसी नाम से यह देशभर में अपनी पहचान बना रही हैं। जीविका से जुड़कर महिलाएं आज न केवल आत्मनिर्भर बनी है बल्कि समाज में दूसरों की मदद भी कर रही है, समूह से जुड़कर महिलाओं को सामाजिक पहचान के साथ-साथ आर्थिक सशक्तिकरण भी प्राप्त हो रहा है, आज महिलाएं जीविका के माध्यम से स्वयं के साथ-साथ अपने परिवार और समाज के विकास में योगदान दे रही हैं।

इसीलिए यह कहा जा सकता है कि जीविका योजना केवल व्यक्तिगत महिला को नहीं बल्कि पूरे ग्रामीण समाज को बदल रही है। यह योजना महिलाओं को न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक, शैक्षणिक और नेतृत्व के स्तर पर भी सशक्त बना रही है। अर्थात उन्हें संपूर्ण रूप से आत्मनिर्भर बनती है यह योजना सशक्तिकरण और विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है।

संदर्भ सूची :

1. जीविका बिहार ग्रामीण विकास विभाग (2021), अंजोर रु जीविका दीदियों की संघर्ष गाथा,
2. सिंह रेणु और कुमार दीपक (2020), बिहार में गरीबी उन्मूलन में जीविका का योगदान, बिहार जर्नल ऑफ़ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वॉल्यूम -1.
3. गुर्जर, सीता (2015) महिला सशक्तिकरण -नीति, कानून व योजनाएं, उदयपुर, हिमांशु पब्लिकेशन
4. कुमार, मनीष (2008), महिला सशक्तिकरण दशा और दिशा, दिल्ली, मधुर बुक्स
5. अंसारी, एम. ए. (2004), राष्ट्रीय महिला आयोग व भारतीय नीति, जयपुर, ज्योति पब्लिकेशन
6. सिंह, के. (1986) "ग्रामीण विकास सिद्धांत: नीतियां और प्रबंधन, नई दिल्ली, सेज पब्लिकेशन
7. पावर, एम. (2014) "राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को कैसे तेज करें "कुरुक्षेत्र, वॉल्यूम 62, नंबर – 4.
8. डॉ. सिंह, इंद्र भूषण, और डॉ .कुमारी उषा (2008) "ग्रामीण विकास और महिला सशक्तिकरण "कुरुक्षेत्र, वॉल्यूम 55, नंबर -5.
9. पंकज, अशोक (2020) जीविका महिला और ग्रामीण बिहार, सोसीयोलॉजिकल बुलेटिन, वॉल्यूम- 69 नंबर -2.